प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1114 सन 2021
अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. वियजसिह पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. रायसाहब पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. महेन्द्रपाल पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 356/329 की कुल 15.4410हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगमाल पुत्र जयलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगमाल पुत्र जयलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिताहे वादी के पिताने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त वाद भूमि की वसीयत अपनी स्वैच्छा से अपने पौत्रों के पक्ष में करवाई गई थी वादी के पिताजगमाल पुत्र जयलाल का देहान्त हो चुका है वादी के पिताजगमाल पुत्र जयलाल के देहान्त होने के बाद वादी अपने पिताकी वसीयत के अनुसार वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है हो गया है वादी अपने पिताजगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिताजगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के अनसुार वाद भूमि में वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो उसके पिताजगमाल पुत्र जयलाल के नाम से दर्ज थी वादी के पिताजगमाल पुत्र जयलाल के देहान्त होने के बाद अपने पिताजगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के अनसुार वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिताजगमाल पुत्र जयलाल के नाम से दर्ज थी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता जगमाल पुत्र जयलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वैच्छा से अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में करवाई गई थी वादी के पिता जगमाल पुत्र जयलाल का देहान्त हो चुका हे वादी के पिता जगमाल पुत्र जयलाल का देहान्त होने पर जगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वाद भूमि के अधिकारी हो गये है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वाद भूमि के वसीयत के अनुसार हकदार है जगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज

615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 356/329 की कुल 15.4410हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगमाल पुत्र जयलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पिता जगमाल पुत्र जयलाल के नाम से दर्ज है वादी के पिता जगमाल पुत्र जयलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में करवाई गई थी वादी के पिता जगमाल पुत्र जयलाल का देहान्त हो चुका है इसलिये जगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वज जगमाल पुत्र जयलाल की वसीयत के अनुसार वाद भूमि उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 356/329 की कुल 15.4410हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगमाल पुत्र जयलाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .बडबिराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 वियजसिह पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. रायसाहब पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. महेन्द्रपाल पुत्र जगमाल जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1114 सन 2021 निर्णय दिनांक– 01.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 356/329 की कुल 15.4410हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगमाल पुत्र जयलाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....बडबिराना